



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 2011/चैत्र 2, 1933

No. 149]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 2011/CHAITRA 2, 1933

श्रम और रोजगार मंत्रालय
(नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2011

सा.का.नि. 228(अ).—केन्द्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, शिक्षुता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2011 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. शिक्षुता नियम, 1992 के नियम 11 के उप-नियम (2) में खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) स्नातक शिक्षु	-3560/- ₹ प्रतिमास
(ख) अंतःपूर्णा पाठ्यक्रम (डिग्री संस्थाओं से छात्र)	-2530/- ₹ प्रतिमास
(ग) तकनीकी शिक्षु	-2530/- ₹ प्रतिमास
(घ) अंतःपूर्णा पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थाओं से छात्र)	-2070/- ₹ प्रतिमास
(ङ) तकनीकी (व्यवसायिक) शिक्षु	-1970/- ₹ प्रतिमास"

[फा. सं. डीजीईटी-23(4)(3304)/2010-एपी]

शारदा प्रसाद, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 356 तारीख 1 अगस्त, 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं. सा.का.नि. 838(अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2010 द्वारा किया गया था।

1048 GI/2011

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(Directorate General of Employment and Training)
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2011

G.S.R. 228(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely :—

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2011.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Apprenticeship Rules, 1992, in rule 11, in sub-rule (2), for clauses (a), (b), (c), (d) and (e) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"(a) Graduate Apprentices	₹ 3560 per month
(b) Sandwich Course (Students from Degree Institutions)	₹ 2530 per month
(c) Technician Apprentices	₹ 2530 per month
(d) Sandwich course (Students from Diploma Institutions)	₹ 2070 per month
(e) Technician (Vocational) Apprentices	₹ 1970 per month."

[F.No. DGET-23(4)(3304)/2010-AP]

SHARDA PRASAD, Director General/Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 356, dated the 1st August, 1992 and last amended vide number G.S.R. 838(E), dated the 18th October, 2010.